SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और 106वां संविधानः संशोधन अवसर और चुनौतियां

विद्या कुमार चौधरी, पी.–एचडी., विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग
आर.डी. एवं डी.जे. कॉलेज, मुंगेर, बिहार, भारत
पिंकी कुमारी, शोधार्थी, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग
मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
विद्या कुमार चौधरी, पी.–एचडी.
पिंकी कुमारी, शोधार्थी
E-mail : vidyakumarchoudhary2@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 18/06/2025
Revised on : 20/08/2025
Accepted on : 29/08/2025
Overall Similarity : 00% on 21/08/2025

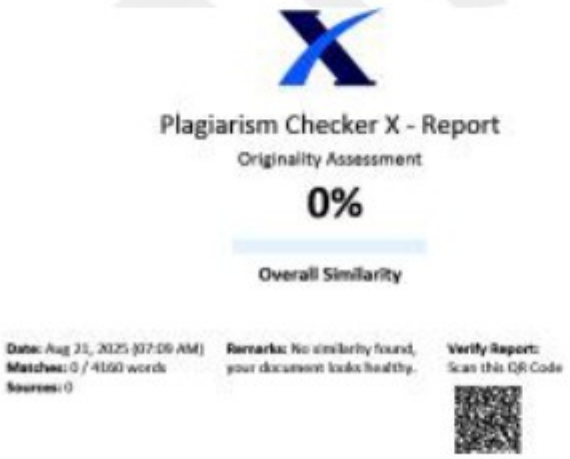

शोध सार

यह लेख भारत में महिलाओं की विधायकीय प्रतिनिधित्व की स्थिर दुर्बलता (वर्तमान लोकसभाः 14.9 प्रतिशत) एवं 106वें संवैधानिक संशोधन (2023) द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के जनादेश के परिप्रेक्ष्य में एक गंभीर विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेख का प्राथमिक उद्देश्य यह जाँचना है कि क्या यह कानूनी हस्तक्षेप गहरे पितृसत्तात्मक ढाँचों को चुनौती दे सकता है, विवरणात्मक प्रतिनिधित्व को सार्थक नीतिगत परिणामों में रूपांतरित कर सकता है, तथा जाति, धर्म, वर्ग की प्रतिच्छेदी पहचानें इसकी प्रभावकारिता को कैसे आकार देती हैं। शोध पद्धति में वैधानिक विश्लेषण (संशोधन के प्रावधान, संसदीय बहस), नारीवादी संस्थावाद का सैद्धांतिक लेंस, और तुलनात्मक अध्ययन (पंचायती राज, रवांडा, बांग्लादेश) शामिल हैं। प्रमुख निष्कर्ष इंगित करते हैं कि संशोधन में परिवर्तनकारी क्षमता (स्थानीय स्तर पर महिला–केंद्रित नीतियों में 13–18 प्रतिशत वृद्धि, रोल मॉडल प्रभाव) विद्यमान है, किंतु यह संरचनात्मक चुनौतियों – राजनीतिक दलों में अभिजन अधिग्रहण (33 प्रतिशत महिला सांसद राजनीतिक परिवारों से), आर्थिक अवरोध (चुनावी धन में 30 प्रतिशत कमी, अवैतनिक देखभाल का बोझ), हिंसा, तथा SC/ST/मुस्लिम महिलाओं के प्रतिच्छेदी बहिष्कार (0.7 प्रतिशत प्रतिनिधित्व) से ग्रस्त है। लेख का योगदान लैंगिक कोटा की सैद्धांतिक बहस को भारतीय संदर्भ की जटिलताओं से जोड़ते हुए नीतिगत समाधान (दलीय आंतरिक कोटा, लैंगिक बजटिंग, OBC उप–आरक्षण समीक्षा) प्रस्तावित करना है, जो भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। सीमा के रूप में, संशोधन का वास्तविक कार्यान्वयन अभी बाकी है।

मुख्य शब्द

महिला राजनीतिक भागीदारी, 106वाँ संविधान संशोधन, प्रतिच्छेदन, लैंगिक कोटा, भारतीय लोकतंत्र.

परिचय

अनुसंधान समस्याः सामाजिक–आर्थिक प्रगति के बावजूद महिला विधायी प्रतिनिधित्व में स्थिरता

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एक जटिल विरोधाभास प्रस्तुत करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनकी स्थिति में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर उनकी उपस्थिति बढ़ाई है।[1] किंतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विधायिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व निराशाजनक रूप से कम बना हुआ है। वर्तमान लोकसभा में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व मात्र 14.9 प्रतिशत है, जो वैश्विक औसत (26.5 प्रतिशत) से काफी नीचे एवं पिछले दो दशकों में न्यूनतम वृद्धि दर्शाता है।[2] यह स्थिरता गहरे पैठे पितृसत्तात्मक ढांचे, सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाओं, राजनीतिक दलों में संरचनात्मक पूर्वाग्रहों तथा संसाधनों की कमी को प्रतिबिंबित करती है। यह प्रश्न उत्पन्न करती है कि सामाजिक–आर्थिक प्रगति राष्ट्रीय निर्णयन प्रक्रियाओं में समान प्रतिनिधित्व में क्यों नहीं परिवर्तित हो पा रही है।

अध्ययन का महत्वः लैंगिक न्याय एवं लोकतांत्रिक सुदृढीकरण हेतु एक निर्णायक मोड़

इस ऐतिहासिक स्थिरता के संदर्भ में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के रूप में प्रख्यात 106वां संविधान संशोधन (आधिकारिक नामरू संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023) एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। इसने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं एवं दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक–तिहाई (33 प्रतिशत) सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया है। यह न केवल विवरणात्मक प्रतिनिधित्व (Descriptive Representation) में पर्याप्त वृद्धि की संभावना रखता है, अपितु लैंगिक न्याय की प्राप्ति, समावेशी लोकतंत्र के निर्माण एवं महिलाओं की विशिष्ट चिंताओं को नीति निर्माण में केंद्रीय स्थान दिलाने की दिशा में एक "निर्णायक मोड़" (Watershed) है। हालाँकि, कानूनी उपबंध अकेले सामाजिक–राजनीतिक बाधाओं को दूर करने की गारंटी नहीं देते। अतः इस संशोधन द्वारा प्रदत्त अवसरों एवं क्रियान्वयन की चुनौतियों का गहन विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य अनुसंधान प्रश्न

इस संशोधन के सन्दर्भ में, यह लेख निम्नलिखित प्रमुख प्रश्नों की जाँच करेगाः

1. क्या विधिक कोटा गहराई से पैठी पितृसत्ता एवं राजनीतिक संरचनाओं में निहित पूर्वाग्रहों पर काबू पा सकता है? क्या आरक्षण केवल एक "प्रतीकात्मक" (Token) उपस्थिति तक सीमित रहेगा अथवा यह महिलाओं को वास्तविक राजनीतिक एजेंसी एवं नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम होगा?
2. क्या विवरणात्मक लाभ (संख्यात्मक वृद्धि) वास्तविक प्रतिनिधित्व (Substantive Representation) में परिवर्तित हो पाएँगे? क्या संसद में अधिक संख्या में महिलाएँ महिला हितों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएँगी तथा लैंगिक समानता संबंधी नीतियों को आकार दे पाएँगी, अथवा वे पार्टी अनुशासन एवं पुरुष–प्रधान राजनीतिक संस्कृति के अधीन हो जाएँगी?
3. अंर्तविभागीय पहचानें (जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र इत्यादि) महिला विधायकों की प्रभावकारिता को किस प्रकार आकार देती हैं? क्या आरक्षण विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं को सशक्त बनाएगा, अथवा इसका लाभ मुख्यतः एक विशिष्ट सामाजिक वर्ग (जैसे उच्च जाति, शहरी) तक ही सीमित रहेगा? अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी अथवा ग्रामीण महिलाओं के समक्ष क्या विशिष्ट चुनौतियाँ होंगी?

अनुसंधान पद्धति

उपरोक्त प्रश्नों के विश्लेषण हेतु यह लेख एक बहु–स्तरीय पद्धतिगत ढांचा अपनाएगाः

1. **वैधानिक विश्लेषण (Doctrinal Analysis):** संशोधन के मूल पाठ, संसदीय वाद–विवाद, संबंधित विधेयकों तथा संवैधानिक प्रावधानों (विशेषकर अनुच्छेद 330, 332, 334) का विस्तृत परीक्षण।

2. **नारीवादी संस्थावाद (Feminist Institutionalism):** इस सैद्धांतिक प्रविधि द्वारा यह आंकलन किया जाएगा कि किस प्रकार औपचारिक विधि (आरक्षण) अनौपचारिक राजनीतिक संस्थाओं (दलीय संरचनाएँ, चुनावी प्रक्रियाएँ, सांस्कृतिक मानदंड) के साथ अंतःक्रिया करती है तथा महिलाओं की राजनीतिक एजेंसी को सुविधाजनक अथवा बाधित करती है।
3. **तुलनात्मक केस अध्ययन (Comparative Case Studies):** भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण के अनुभवों तथा अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों (जैसे रवांडा, नेपाल में कोटा) का अध्ययन, जो 106वें संशोधन के क्रियान्वयन की संभावित चुनौतियों एवं प्रभावों पर प्रकाश डाल सकते हैं।

संकल्पनात्मक आधाररू महिला भागीदारी और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत

1. राजनीतिक भागीदारीः परिभाषा एवं लैंगिक अवरोध

राजनीतिक भागीदारी एक बहुआयामी अवधारणा है, जो केवल मतदान तक सीमित नहीं है। इसमें राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेना, समुदाय आयोजन, विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक दलों की सदस्यता, और अंततः चुनाव लड़कर निर्णय–निर्माण की भूमिकाएँ ग्रहण करना शामिल है – एक स्पेक्ट्रम जो निष्क्रिय से सक्रिय नेतृत्व तक फैला है।[3] किंतु महिलाओं के लिए यह भागीदारी सार्वभौमिक रूप से ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से निर्मित लैंगिक अवरोधों से ग्रस्त रही है। पितृसत्तात्मक समाजों में, महिलाओं को प्रायः "निजी क्षेत्र" (घरेलू जीवन) तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि "सार्वजनिक क्षेत्र" (राजनीति सहित) को पुरुषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। यह कृत्रिम विभाजन महिलाओं को राजनीतिक एजेंसी और संसाधनों से वंचित करता है, जिससे उनकी पूर्ण राजनीतिक नागरिकता सीमित हो जाती है। यह असमानता भारत जैसे देशों में विशेष रूप से गहरी है, जहाँ पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ प्रबल हैं।

2. प्रतिनिधित्व सिद्धांतः विवरणात्मकता से वास्तविकता तक तथा अंतर्विभागीयता

हैना फिनचेल पिटकिन के प्रतिनिधित्व के प्रभावशाली सिद्धांत के अनुसार, प्रतिनिधित्व के विभिन्न आयाम हैं। विवरणात्मक प्रतिनिधित्व (Descriptive Representation) इस बात पर बल देता है कि प्रतिनिधि उन लोगों के दिखने में समान हों जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं (जैसे महिलाओं द्वारा महिलाओं का प्रतिनिधित्व)। यह प्रतीकात्मक महत्व रखता है और समूह की पहचान की पुष्टि करता है। वास्तविक प्रतिनिधित्व (Substantive Representation) का संबंध इस बात से है कि प्रतिनिधि उन लोगों के हितों के लिए कार्य करें जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, भले ही वे उनके समान दिखें या नहीं।[4] भारत का 106वां संशोधन मुख्यतः विवरणात्मक प्रतिनिधित्व (संख्या में वृद्धि) सुनिश्चित करने का प्रयास है। किंतु मूल प्रश्न यह है कि क्या यह संख्यात्मक उपस्थिति स्वतः ही नीतिगत परिवर्तन (वास्तविक प्रतिनिधित्व) में तब्दील होगी? इस चर्चा को किम्बर्ले क्रेंशॉ द्वारा विकसित अंतर्विभागीयता (Intersectionality) की अवधारणा और जटिल बनाती है। यह सिद्धांत बताता है कि जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौनिकता आदि विभिन्न पहचानें किसी व्यक्ति के अनुभवों और हाशिएकरण को कैसे आपस में गुंथा कर आकार देती हैं। भारत में, एक "सामान्य महिला" का अस्तित्व नहीं है; एक दलित ग्रामीण महिला का अनुभव एक उच्च जाति की शहरी महिला से मूलभूत रूप से भिन्न होता है। इसलिए, विवरणात्मक प्रतिनिधित्व भी तभी प्रभावी होगा जब यह इन अंतर्विभागीय विविधताओं को पहचाने और समाहित करे।

3. सैद्धांतिक लेंसः कोटा एवं परिवर्तन के यंत्र

106वें संशोधन की प्रभावकारिता को समझने के लिए कई सैद्धांतिक ढाँचे प्रासंगिक हैं:

- **नारीवादी संस्थावाद (Feminist Institutionalism):** यह दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं (जैसे संसद, राजनीतिक दल, चुनाव प्रणाली) को लैंगिक तटस्थ मानने से इनकार करता है। मोना लीना क्रूक के अनुसार, लैंगिक कोटा जैसे उपाय "लैंगिक–संवेदनशील संस्थाओं" (Gender-sensitive institutions) के निर्माण का प्रयास करते हैं, जो पुरुष–प्रधान मानदंडों को चुनौती देकर औपचारिक नियमों (कानून) और अनौपचारिक राजनीतिक व्यवहार (संस्कृति, प्रथाएँ) के बीच की खाई को पाटने का लक्ष्य रखते हैं।[5] यह विश्लेषण करता

है कि आरक्षण जैसे औपचारिक परिवर्तन अनौपचारिक संस्थागत प्रतिरोधों (जैसे पार्टी पदानुक्रम, चुनावी हिंसा, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण) से कैसे टकराते हैं।

- **क्रांतिकारी संख्या सिद्धांत (Critical Mass Theory):** यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि जब कोई हाशिएकृत समूह (जैसे महिलाएँ) एक निश्चित सीमा (अक्सर 30–33 प्रतिशत) तक निर्णय–निर्माण निकायों में पहुँच जाता है, तो वे न केवल "टोकन" नहीं रह जातीं, बल्कि नीतिगत एजेंडा और संस्थागत संस्कृति को बदलने की क्षमता प्राप्त कर लेती हैं।[6] हालाँकि, ड्रूड डाहलरूप जैसे विद्वानों ने इस पर आपत्ति जताई है। वे तर्क देते हैं कि केवल संख्या पर्याप्त नहीं है; "क्रांतिकारी कार्यवाही" (Critical Acts) साहसिक नीतिगत परिवर्तनों को प्रस्तावित करने और लागू करने वाली महिलाओं की उपस्थिति अधिक निर्णायक होती है। साथ ही, महिलाएँ एक एकजुट ब्लॉक नहीं होतीं और उनके राजनीतिक एजेंडे उनकी पार्टी लाइन या व्यक्तिगत विचारधारा से प्रभावित हो सकते हैं।[7]
- **पितृसत्ता सिद्धांत (Patriarchy Theory):** डेनिज़ कैंडियोटी जैसे विद्वानों ने "व्यावहारिक पितृसत्ता" (Patriarchal Bargain) की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके तहत महिलाएँ अक्सर पितृसत्तात्मक व्यवस्था के भीतर सापेक्ष सुरक्षा और लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी स्वायत्तता का कुछ हिस्सा छोड़ देती हैं।[8] भारत जैसे समाजों में, जहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली और जाति व्यवस्था गहराई से जुड़ी हुई है, परिवार और कबीलाई संरचनाएँ अक्सर महिलाओं की राजनीतिक पसंद और स्वायत्तता को गंभीर रूप से सीमित करती हैं। यह सिद्धांत बताता है कि कानूनी कोटा अकेले इन गहरी जड़ें जमाए सामाजिक–पारिवारिक ढाँचों को बदलने में क्यों अपर्याप्त हो सकता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संरचनात्मक बाधाएँ

1. 106वें संशोधन से पूर्व का परिदृश्य: स्थानीय सफलता, राष्ट्रीय विफलता

106वें संशोधन पूर्व का परिदृश्यरू 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधनों (1992) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटों का आरक्षण लागू किया गया। इस नीति के परिणामस्वरूप स्थानीय शासन में लगभग 1.4 मिलियन से अधिक महिलाएं प्रतिनिधि बनीं।[9] हालाँकि, इस उच्च संख्यात्मक उपस्थिति के बावजूद, वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति अक्सर पुरुष रिश्तेदारों (जिन्हें "सरपंच पति" कहा जाता है) के हाथों में केंद्रित रही, जो महिला प्रतिनिधियों के माध्यम से "प्रॉक्सी शासन" (Proxy Rule) करते थे।[10] यह घटना महिलाओं की स्वायत्त एजेंसी और प्रभावी राजनीतिक भागीदारी पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।

राष्ट्रीय स्तर पर विफलता: राज्य सभा और लोक सभा जैसे राष्ट्रीय विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास निराशाजनक रहे। राजनीतिक दलों द्वारा स्वैच्छिक कोटा (जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 2010 में घोषित 33 प्रतिशत आरक्षण) लागू करने में लगातार विफलता देखी गई।[11] इन आश्वासनों के बावजूद, दलों ने चुनावों में पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में लैंगिक असमानता बनी रही।[12] यह विफलता महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के मार्ग में गहरी जड़ें जमाए संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक अवरोधों को दर्शाती है।

2. भागीदारी की बहुआयामी बाधाएँ

महिलाओं की पूर्ण राजनीतिक भागीदारी के मार्ग में कई गहरी एवं जटिल बाधाएँ खड़ी हैं:

- **संस्थागत अवरोध:** राजनीतिक दल, जो राजनीतिक प्रवेश के प्राथमिक द्वारपाल हैं, अक्सर पुरुष–प्रधान होते हैं। पार्टी नामांकन प्रक्रियाएँ पारंपरिक पुरुष नेटवर्क्स पर निर्भर करती हैं, जो महिलाओं को सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के अवसरों से वंचित करती हैं।[13] यह "ओल्ड बॉयज क्लब" संस्कृति महिलाओं को नामांकन पाने और संसाधनों तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करती है।

- **सामाजिक–आर्थिक विषमताएँ**: महिलाओं की आर्थिक स्थिति राजनीतिक भागीदारी को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) चिंताजनक रूप से निम्न है (मात्र 19 प्रतिशत, विश्व औसत से काफी नीचे)।[14] साथ ही, एक बड़ा डिजिटल लैंगिक अंतराल (Digital Gender Gap) (60 प्रतिशत) महिलाओं की सूचनाओं तक पहुँच और डिजिटल राजनीतिक संवाद में भाग लेने की क्षमता को सीमित करता है।[15]
- **सांस्कृतिक एवं सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ**: गहरे पैठे पितृसत्तात्मक कुल व्यवस्था (Patrilocal Kinship) के कारण, विवाह के बाद महिलाओं को अक्सर अपना मूल निवास स्थान छोड़ना पड़ता है, जिससे उनकी स्थानीय राजनीतिक पहचान और नेटवर्क टूट जाते हैं। इसके अलावा, राजनीति में महिलाओं के सामने हिंसा और उत्पीड़न (Violence and Harassment) का गंभीर खतरा बना रहता है। अंतर–संसदीय संघ (IPU) के एक अध्ययन के अनुसार, लगभग 44 प्रतिशत महिला सांसदों ने अपने कार्यकाल के दौरान मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न का अनुभव किया है।[16] यह भय उनकी सक्रिय भागीदारी को हतोत्साहित करता है।
- **आर्थिक बोझ एवं संसाधन अभाव**: महिलाएँ अवैतनिक देखभाल कार्य (Unpaid Care Work) के अत्यधिक बोझ से दबी हुई हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के 2019 के आँकड़ों के अनुसार, भारतीय महिलाएँ प्रतिदिन पुरुषों की तुलना में औसतन 7 गुना अधिक समय अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्यों में व्यतीत करती हैं।[17] यह समय राजनीतिक सक्रियता के लिए उपलब्ध नहीं होता। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के पास आमतौर पर पुरुषों की तुलना में कम आर्थिक संसाधन होते हैं, जिससे महँगे चुनाव प्रचार का खर्च उठा पाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है, जिसे "अभियान वित्त नुकसान" (Campaign Finance Disadvantage) कहा जा सकता है।

106वाँ संशोधनः संरचना एवं अनिश्चितताएँ

1. **प्रमुख प्रावधान**: 106वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा लोकसभा (अनुच्छेद 330A) और राज्य विधानसभाओं (अनुच्छेद 330A) में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) की महिलाओं के लिए उनकी कुल आरक्षित सीटों में एक–तिहाई उप–कोटा शामिल है।[18] यह आरक्षण 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा, जिसके बाद संसद द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी (सनसेट क्लॉज)।[19] इस अस्थायी प्रकृति की तुलना नेपाल के संविधान से की जा सकती है, जहाँ स्थानीय सरकारों में महिला आरक्षण स्थायी है।[20]

संशोधन अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 330A जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि[21]:

1. लोक सभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की मांग की है।
2. यथासंभव अनुच्छेद 330(2) के अंतर्गत आरक्षित सीटों में से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।
3. व्यावहारिक रूप से यथासंभव, लोक सभा में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक–तिहाई सीटें (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी चाहिए।[22]

संशोधन की धारा 4 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 332A को शामिल करती है। इसमें कहा गया है कि[23]:

1. प्रत्येक राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की मांग की है।
2. इसके अतिरिक्त, जहां तक संभव हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित कुल सीटों में से एक–तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।

3. जहां तक संभव हो, राज्य विधान सभाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली एक–तिहाई सीटें, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।[24]

2. **कार्यान्वयन की बाधाएँ**: इस संशोधन के प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं:

- **परिसीमन विलंब**: आरक्षण लागू होने के लिए 2026 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्सीमन (डेलीमिटेशन) की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया राजनीतिक जेरीमैंडरिंग (चुनावी सीमाओं में हेराफेरी) के जोखिम को बढ़ाती है।
- **सीट रोटेशन**: आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हर चुनाव के बाद बदलेंगे, जिससे पदाधिकारियों की जवाबदेही कम हो सकती है और स्थानीय विकास की निरंतरता बाधित हो सकती है।
- **कानूनी चुनौतियाँ**: इस आरक्षण को अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) का उल्लंघन बताते हुए विधिक विवादों का सामना करना पड़ सकता है। राय साहिब रामजावाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955) जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण नीतियाँ संवैधानिक समानता के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए।[25]

अवसर: परिवर्तनकारी संभावनाएँ

1. **प्रतिनिधित्व एवं नीतिगत परिवर्तन**: महिलाओं की प्राथमिकताओं का केंद्रीकरण– 106वें संविधान संशोधन का सर्वाधिक प्रत्यक्ष लाभ विधायिकाओं में महिलाओं के विवरणात्मक प्रतिनिधित्व (Descriptive Representation) में क्रांतिकारी वृद्धि होगा। अनुभवजन्य प्रमाण दर्शाते हैं कि यह संख्यात्मक उपस्थिति वास्तविक प्रतिनिधित्व (Substantive Representation) एवं नीतिगत बदलाव को प्रेरित कर सकती है। पंचायती राज में महिला प्रमुखों वाले क्षेत्रों में, चट्टोपाध्याय एवं दुफ्लो (2004) के अध्ययन के अनुसार, पेयजल जैसी महिला–केंद्रित बुनियादी सुविधाओं में निवेश में 13 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।[26] यह दर्शाता है कि महिला नेता महिलाओं की वास्तविक जरूरतों को प्राथमिकता देती हैं। संसद स्तर पर, एक बड़ी संख्या में महिला सांसद "महिला कॉकस (Women's Caucuses)" गठित कर सकती हैं, जैसा कि रवांडा (64 प्रतिशत महिला सांसद) में सफलतापूर्वक हुआ, जहाँ महिलाओं ने पार्टी लाइनों को पार करके लैंगिक समानता संबंधी कानूनों को पारित कराया।[27] यह क्रांतिकारी संख्या सिद्धांत (Critical Mass Theory) की संभावना को साकार कर सकता है।
2. **सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन**: भूमिका प्रतिमान एवं मानदंडों का पुनर्निर्माण– महिलाओं की बढ़ी हुई राजनीतिक उपस्थिति का सामाजिक प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक हो सकता है:

- **रोल मॉडल प्रभाव (Role Model Effect)**: बीमन एवं सहयोगियों (2012) के अध्ययन के अनुसार, पंचायतों में महिला प्रमुखों के उदाहरण ने उनके क्षेत्र की किशोरियों की शैक्षिक आकांक्षाओं में 25 प्रतिशत की वृद्धि की और उनके राजनीतिक प्रभावकारिता के बारे में धारणाओं को सकारात्मक रूप से बदला।[28] यह दर्शाता है कि दृश्यमान महिला नेता युवा लड़कियों के लिए संभावनाओं के क्षितिज को विस्तृत करती हैं।
- **मानदंड उद्यमिता (Norm Entrepreneurship)**: महिला नेता पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों को सीधे चुनौती देती हैं उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में मुस्लिम महिला पंच/सरपंचों ने "पर्दा प्रथा" को तोड़ते हुए सार्वजनिक बैठकों में सक्रिय भागीदारी की और सामुदायिक निर्णयन में अपनी आवाज़ बुलंद की।[29] यह व्यवहारिक परिवर्तन लैंगिक समानता के नए सामाजिक मानदंडों (नॉर्म्स) के निर्माण में सहायक होता है।

3. **आर्थिक समावेशन**: लैंगिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता– महिला नेतृत्व आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। भारतीय महिला नीति अनुसंधान संस्थान (IWPR) के 2020 के अध्ययन के अनुसार, महिला प्रधान पंचायतों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय

ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसी योजनाओं में महिला श्रमिकों की भागीदारी और उनके लिए कार्य स्थलों की उपलब्धता को प्राथमिकता दी।[30] इससे न केवल महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ हुआ, बल्कि उनकी सामाजिक गतिशीलता भी बढ़ी। संसद और विधानसभाओं में इसी तरह का ध्यान राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों, श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक लैंगिक संवेदनशील बना सकता है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता (Economic Autonomy) बढ़ेगी।

चुनौतियाँः संरचनात्मक एवं संस्थागत प्रतिरोध

1. **प्रतीकात्मकता एवं अभिजन कब्जा:** 106वें संशोधन का प्रमुख जोखिम प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व (Tokenism) है। त्रिवेदी (2023) के अनुसार, वर्तमान में 33 प्रतिशत महिला सांसद राजनीतिक परिवारों से आती हैं, जिससे अभिजन कब्जे (Elite Capture) की आशंका बलवती होती है।[31] साथ ही, अनंतिया एवं सहयोगियों (2022) के अनुसार, संबंधपरक स्वायत्तता (Relational Autonomy) का अभाव देखा गया है, जहाँ महिला विधायक विधायी मतदान में पति के दबाव का शिकार होती हैं।[32] यह वास्तविक राजनीतिक एजेंसी को कमजोर करता है।
2. **अंतर्विभागीय बहिष्कार:** समावेशन की राह में जाति–लिंग अंतर्विरोध (Intersectional Exclusion) गंभीर बाधा है:

- **अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) महिलाएँ:** जाति एवं लिंग आधारित हिंसा के दोहरे बोझ (Double Burden) का सामना करती हैं, जैसा कि भंवरी देवी मामले (1992) में देखा गया।[33]
- **मुस्लिम महिलाएँ:** आबादी में 7 प्रतिशत हिस्सेदारी के बावजूद राज्य विधानसभाओं में इनका प्रतिनिधित्व मात्र 0.7 प्रतिशत है, जो गहन सामाजिक–राजनीतिक हाशियाकरण को दर्शाता है।[34]

3. **संस्थागत प्रतिरोध**

संरचनाएँ महिलाओं के विरुद्ध कार्य करती हैं:

- **दलीय प्रतिरोध (Party Resistance):** महिलाएँ "महिला विंग" तक सीमित हैं। भाजपा/कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समितियों में उनकी भागीदारी केवल 10 प्रतिशत है।[35]
- **हिंसा एवं सुरक्षा (Violence - Safety):** संयुक्त राष्ट्र महिला (2022) के अनुसार, साइबर उत्पीड़न (Cyber-Trolling) और शारीरिक धमकियाँ (Physical Intimidation) महिला नेताओं को निशाना बनाती हैं।[36]

4. **आर्थिक बाधाएँ**

संसाधन अभाव गंभीर चुनौती है:

- **अभियान वित्त अंतराल (Funding Gap):** एडीआर (2024) के अनुसार, महिला उम्मीदवारों को पुरुषों की तुलना में 30 प्रतिशत कम चंदा प्राप्त होता है।[37]
- **अवैतनिक देखभाल बोझ (Unpaid Care Burden):** सीएसडीएस (2023) के सर्वेक्षण में 80 प्रतिशत महिला विधायकों ने बच्चों की देखभाल (Childcare) को प्रमुख बाधा बताया।[38]

तुलनात्मक अंर्तदृष्टिः वैश्विक एवं घरेलू अनुभव

1. वैश्विक कोटा प्रणालियाँः सीखें एवं चेतावनियाँ

भारत के लिए अन्य देशों के अनुभव प्रासंगिक सबक प्रदान करते हैं:

देश	तंत्र	परिणाम	सीख
रवांडा (2003)[39]	संवैधानिक रूप से अनिवार्य 30 प्रतिशत	संसद में 61 प्रतिशत महिला सांसद (2023)	राज्य–नेतृत्व में लैंगिक बजटिंग वास्तविक नीतिगत प्रभाव सुनिश्चित करती है।

बांग्लादेश[40]	आरक्षित सीटें (50 में से 45)	21 प्रतिशत महिला सांसद (2024)	दलों के भीतर लोकतंत्र की कमी से वंशवादी वर्चस्व बढ़ता है।
स्वीडन[41]	स्वैच्छिक दलीय कोटा	47 प्रतिशत महिला सांसद (2022)	मजबूत नागरिक समाज दबाव दीर्घकालिक परिवर्तन का इंजन है।

मुख्य अंतर्दृष्टि

- रवांडा ने संवैधानिक कोटा को लैंगिक संवेदनशील शासन (जैसे लिंग आधारित हिंसा कानून) से जोड़कर सफलता पाई।[42]
- बांग्लादेश में आरक्षण के बावजूद "सीट जॉकी" (Seat Jockeys) का प्रभुत्व है, जहाँ पुरुष नेता महिला रिश्तेदारों को टिकट देकर वास्तविक नियंत्रण बनाए रखते हैं।[43]

2. **भारत का पंचायती राजः आशा एवं सावधानी**

भारत के स्वयं के स्थानीय शासन अनुभव मिश्रित सबक देते हैं:

- **सफलता–नेतृत्व का प्रसारः** आयर एवं सहयोगियों (2012) के अनुसार, आरक्षण समाप्त होने के बाद 54 प्रतिशत महिलाएँ गैर–आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ीं। यह प्रशिक्षण एवं विश्वास निर्माण की भूमिका को दर्शाता है।[44]
- **विफलता–प्रॉक्सी शासन का अस्तित्वः** पांडा (2019) के अध्ययन में बिहार की 22 प्रतिशत पंचायतों में "सरपंच पति" द्वारा वास्तविक नियंत्रण पाया गया, विशेषकर कम शिक्षित महिला प्रतिनिधियों में।[45] यह पितृसत्तात्मक संरचनाओं की जटिलता को उजागर करता है।

मुख्य निष्कर्ष

- स्थायी सशक्तिकरण के लिए कोटा को क्षमता निर्माण (प्रशिक्षण, संसाधन) और पितृसत्तात्मक प्रथाओं को चुनौती देने वाले सामाजिक अभियानों के साथ जोड़ना आवश्यक है।
- रवांडा जैसे व्यापक संस्थागत सुधार और स्वीडन जैसी नागरिक सक्रियता भारत के लिए महत्वपूर्ण मॉडल प्रस्तुत करते हैं।

आर्थिक आयामः लागत, प्राथमिकताएँ एवं संसाधन

अवसर लागत विश्लेषणः प्रभावी भागीदारी हेतु निवेश की आवश्यकता

महिलाओं की प्रभावी राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा बाल देखभाल सहायता जैसे ढाँचागत निवेश अनिवार्य हैं। सीएसडीएस (2023) के सर्वेक्षण के अनुसार, 80 प्रतिशत महिला विधायकों ने बच्चों की देखभाल को प्रमुख बाधा बताया।[46] इन सहायक उपायों के अभाव में, महिलाओं की राजनीतिक एजेंसी की वास्तविक अवसर लागत (Opportunity Cost) बनी रहेगी।

राजकोशीय प्राथमिकीकरणः महिला नेतृत्व का सकारात्मक प्रभाव

महिला नेताओं द्वारा सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। चट्टोपाध्याय एवं डुफ्लो (2004) के अध्ययन के पश्चात् चट्टोपाध्याय (2014) के अनुसार, महिला प्रधान नगरपालिकाओं में स्वास्थ्य बजट में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।[47] यह प्रमाणित करता है कि महिला नेता शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) को अधिक समावेशी बनाती हैं।

संसाधन पुनर्वितरणः लैंगिक–उत्तरदायी बजटिंग (GRB)

106वें संशोधन की संभावना को अधिकतम करने हेतु लैंगिक–उत्तरदायी बजटिंग (Gender-Responsive Budgeting- GRB) एक पूरक उपकरण है। GRB सरकारी बजटों का विश्लेषण करके यह सुनिश्चित करता है कि

नीतियाँ एवं व्यय महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न आवश्यकताओं को समान रूप से संबोधित करें।[48] भारत में 2005 से अपनाई जा रही यह प्रणाली, विधायिका में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी के साथ और अधिक प्रभावी हो सकती है, जिससे संसाधनों का अधिक न्यायपूर्ण पुनर्वितरण (Redistribution) संभव होगा।

कानूनी एवं नीतिगत सिफारिशें

1. **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) में संशोधनः** आंतरिक दलीय कोटा अनिवार्य करें– राजनीतिक दलों को विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत नामांकन को अनिवार्य बनाने हेतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किया जाए। यह संशोधन "स्वैच्छिक कोटा" की विफलता को दूर करेगा।
2. **उत्पीड़न विरोधी प्रोटोकॉलः** महिला नेताओं के लिए त्वरित न्याय– महिला राजनीतिज्ञों के खिलाफ हिंसा एवं उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई हेतु विशेष फास्ट–ट्रैक अदालतों की स्थापना की जाए। संयुक्त राष्ट्र महिला (2022) की सिफारिशों के अनुरूप ऑनलाइन उत्पीड़न के लिए विशेष साइबर सेल गठित किए जाएँ।
3. **आर्थिक सहायकः** सार्वजनिक वित्तपोषण एवं बाल देखभाल सहायता– महिला उम्मीदवारों के लिए चुनाव अभियान हेतु सार्वजनिक कोष (पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक) सृजित किया जाए। साथ ही, बाल देखभाल भत्ता (Childcare Stipend) का प्रावधान कर राजनीतिक कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के अवैतनिक कार्य बोझ को कम किया जाए।
4. **अंतर्विभागीय सुरक्षोपायः** ओबीसी उप–कोटा– 106वें संशोधन के क्रियान्वयन के 5 वर्षों के पश्चात समीक्षा कर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) महिलाओं के लिए आरक्षण के भीतर उप–कोटा लागू किया जाए, जिससे जाति–लिंग आधारित बहिष्कार को रोका जा सके।

निष्कर्षः संवैधानिक प्रतिबद्धता से सामाजिक परिवर्तन की ओर

106वां संविधान संशोधन महिलाओं के विधायी प्रतिनिधित्व में ऐतिहासिक छलांग का प्रतीक है, किंतु यह अपने आप में एक आवश्यक पर अपर्याप्त हस्तक्षेप सिद्ध होगा, जब तक कि गहरी संरचनात्मक बाधाओं का समाधान नहीं किया जाता। यह लेख स्पष्ट करता है कि आरक्षण का विवरणात्मक सफलता (33 प्रतिशत सीटें) से वास्तविक प्रभावकारिता (नीतिगत परिवर्तन) में रूपांतरण तीन प्रमुख कारकों पर निर्भर करेगाः

1. राजनीतिक दलों में व्याप्त पितृसत्तात्मक प्रतिरोध का विघटन, विशेषकर नामांकन प्रक्रियाओं एवं आंतरिक संरचनाओं से।
2. अंतर्विभागीय रूप से हाशियाकृत महिलाओं (दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ग्रामीण) की आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना।
3. कोटा प्रावधानों, नारीवादी सामाजिक आंदोलनों तथा न्यायिक सतर्कता के बीच सक्रिय सहयोग।

इस संशोधन की सफलता केवल संख्याओं तक सीमित नहीं है; यह भारतीय लोकतंत्र की सार्वभौमिकता एवं नैतिक वैधता की परीक्षा है। पंचायती राज के अनुभव (जहाँ 54 प्रतिशत महिलाएँ बाद में गैर–आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ीं) आशा जगाते हैं, जबकि "प्रॉक्सी शासन" (22 प्रतिशत बिहार पंचायतों में) और अभिजन कब्जे का खतरा चुनौती बना हुआ है। भविष्य के शोध हेतु, 2030 के बाद के नीतिगत प्रभावों पर दीर्घकालिक अध्ययन अत्यावश्यक होगा, विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं हिंसा निवारण जैसे लैंगिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में।

निष्कर्षतः, यह संशोधन एक साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं। इसकी सार्थकता तभी है जब यह उन करोड़ों भारतीय महिलाओं की आवाज़ बने जिन्हें सदियों से राजनीतिक प्रक्रिया से बहिष्कृत रखा गया। जैसा कि डॉ. अम्बेडकर ने चेतावनी दी थीः "संवैधानिक उपचार तभी सार्थक हैं जब सामाजिक न्याय उनकी आत्मा बने।" 106वां संशोधन तभी सफल होगा जब यह महिलाओं को निर्णय–निर्माण की वास्तविक एजेंसी प्रदान करे केवल सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि सत्ता में वास्तविक हिस्सेदारी।

संदर्भ सूची

1. राष्ट्रीय महिला आयोग (2023) भारत में महिलाएँ 2023: एक सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, अध्याय 5, पृ. 78–85।
2. भारत निर्वाचन आयोग (2019) सत्रहवीं लोकसभा के सदस्यों का सांख्यिकीय रिपोर्ट, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, पृ. 12; अंतर–संसदीय संघ, महिला राष्ट्रीय संसदों में, विश्व, https://data.ipu.org/women-ranking, Accessed on 15/04/2025.
3. वर्बा, सिडनी एवं नॉर्मन, एच. नी (1972) *पार्टिसिपेशन इन अमेरिका: पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल इक्वलिटी*, हार्पर एंड रो, न्यूयॉर्क, अध्याय 1, पृ. 2–5।
4. पिटकिन, हैना फिनचेल (1967) *द कॉन्सेप्ट ऑफ़ रिप्रेजेंटेशन*, यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया प्रेस, बर्कले, पृ. 60–91; (विवरणात्मक), पृ. 114–119 (वास्तविक)।
5. क्रूक, मोना लीना (2009) *क्वोटाज़ फॉर वीमेन इन पॉलिटिक्स: जेंडर एंड कैंडिडेट सिलेक्शन रिफॉर्म वर्ल्डवाइड*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, पृ. 5–8।
6. कैंटर, रोज़डीथ मॉस (1977) *मेन एंड वीमेन ऑफ़ द कॉर्पोरेशन*, बेसिक बुक्स, न्यूयॉर्क, पृ. 206–242।
7. डाहलरूप, ड्रूड (2006) द स्टोरी ऑफ़ द क्रिटिकल मास, *पॉलिटिक्स एंड जेंडर*, 2, नंबर 4, 511–522. विशेषकर पृ. 512–515।
8. कैंडियोटी, डेनिज़ (1998) बार्गेनिंग विद पैट्रिआर्की, *जेंडर एंड सोसाइटी*, 2, नंबर 3, 274–290. विशेषकर पृ. 275–279।
9. भारत सरकार (2020–21) पंचायती राज मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2020–21, https://panchayat.gov.in, अंतिम अद्यतन मार्च 2021, अभिगमन तिथि 15 जनवरी 2024।
10. राय, शिरिन एम. (2011) The Good Politics Book: Gender and Democratic Governance, रूटलेज, लंदन, पृ. 78।
11. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Congress Announces 33% Quota for Women in Party Posts, The Economic Times, 20/09/2010, https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/congress-announces- 33-quota-for-women-in-party-posts/articleshow/6593897-cms, Accessed on 14/06/2025.
12. निर्वाचन आयोग भारत (2009) Statistical Report on General Elections, 2009 to the 15th Lok Sabha, खंड 1 निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, 122–125।
13. भवनानी, राखी (2009), डू इलेक्टोरल कोटाज़ वर्क फॉर वीमेन? ए ट्रिपल–ब्लाइंड, रैंडमाइज्ड स्टडी इन मुंबई *द जर्नल ऑफ़ पॉलिटिक्स* 71, नंबर 4, पृ. 1273–1286. विशेषकर पृ. 1275–1276 (पार्टी भर्ती प्रथाओं पर).
14. विश्व बैंक (2023) वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, श्रम बल में महिलाएँ, कुल का प्रतिशत (नवीनतम ILO अनुमान), https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=IN, Accessed on 15/01/2024.
15. विश्व बैंक (2023) वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, व्यक्तिगत इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाएँ: महिला आबादी, https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USE.FE.ZS?locations=IN, Accessed on 15/01/2024.
16. अंतर–संसदीय संघ (2016) सेक्सिज्म, हरासमेंट एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन पार्लियामेंटेरियंस, आईपीयू, जिनेवा पृ. 10. https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-parliamentarians, Accessed on 15/01/2024.

17. भारत सरकार (2020) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, टाइम यूज इन इंडिया 2019, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली, पृ. 37 (टेबल 4.3).https://mospi.gov.in/web/mospi/publications, Accessed on 15/01/2025.
18. संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023, भारत का राजपत्र, अतिरिक्त अंक, भाग दो, धारा 1।
19. वही, धारा 5।
20. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (2018) Nepals Gender Equality and Social Inclusion in Governance, यूएनडीपी, काठमांडू, 22.
21. गुप्ता, साक्षी (2023) भारतीय संविधान का 106वां संशोधन, iPleadders, https://judextutorials.com/blog/106-amendment-of-indian-constitution-women-reservation-act-2023, Accessed on 15/01/2025.
22. संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023, भारत का राजपत्र, अतिरिक्त अंक, भाग दो, धारा 3।
23. पूर्वोक्त।
24. पूर्वोक्त, धारा 4।
25. राय साहिब रामजावाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1955 सुप्रीम कोर्ट 549।
26. Chattopadhyay, Raghabendra and Esther Duflo (2024) Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India, इकोनोमेट्रिका 72, नंबर 5, 1409–1443. विशेषकर पृ. 1420–1425।
27. अंतर–संसदीय संघ (2021) रवांडाः विमेन इन पार्लियामेंट, आईपीयू, जिनेवा, पृ. 8–10. https://www.ipu.org/parliament/RW, Accessed on 15/01/2025.
28. बीमन, लोरी, एवं सहयोगी (2012), फीमेल लीडर्शिप रेजेस एस्पिरेशन्स एंड एजुकेशनल अटेनमेंट फॉर गर्ल्सः ए पॉलिसी एक्सपेरिमेंट इन इंडिया, साइंस 335, नंबर 6068, 582–586।
29. सेनगुप्ता, नीलंजना (14 सितंबर 2019) मुस्लिम वीमेन इन पंचायत्सः चौलेंजिंग द पर्दाह, *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली* 54, नंबर 37, 47–53।
30. भारतीय महिला नीति अनुसंधान संस्थान (2020), इम्पैक्ट ऑफ़ वीमेन लीडर्शिप ऑन पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्सः ए स्टडी ऑफ़ मनरेगा इन इंडिया, आईडब्ल्यूपीआर, नई दिल्ली, पृ. 15–18. https://www.iwpri.org/reports/mgnrega-women-leadership, Accessed on 15/01/2025.
31. त्रिवेदी (2023) द डायनेस्टिक एडवांटेज, *इंडियन जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस*, 84, नं. 2, 152।
32. अनंतिया एट अल. (2022) रिलेशनल ऑटोनॉमी, *कंटेम्पररी साउथ एशिया*, 30, नं. 4, 528।
33. भंवरी देवी बनाम राजस्थान राज्य, (1994) 6 एससीसी 241।
34. त्रिवेदी (2023) रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ मुस्लिम वीमेन, ईपीडब्ल्यू 58, नं. 42, 19।
35. त्रिवेदी (2023) रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ मुस्लिम वीमेन, ईपीडब्ल्यू 58, नं. 42, 19।
36. यूएन वीमेन, बिहाइंड द स्क्रीन्स (2022), पृ. 5।
37. एडीआर, एनालिसिस ऑफ़ फंडिंग पैटर्न्स (2024), पृ. 7।
38. सीएसडीएस, नेशनल सर्वे ऑन चौलेंजेस (2023), पृ. 24।
39. अंतर–संसदीय संघ (2024), वीमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स, 1 जनवरी 2024, https://data.ipu.org/women-ranking, Accessed on 15/01/2025.
40. बांग्लादेश निर्वाचन आयोग (2024) 12वीं संसद के सांख्यिकीय परिणाम, पृ. 8।
41. अंतर–संसदीय संघ (2022) वीमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्सः स्वीडन, https://data.ipu.org/content/sweden, Accessed on 15/01/2025.

42. पाउलिन रूटेबुका (2020) जेंडर क्वोटाज़ एंड स्टेट बिल्डिंग इन पोस्ट–कॉन्फ्लिक्ट, जेंडर एंड डेवलपमेंट, रवांडा, 28, नं. 2, 325।
43. अमेना मोहसिन (2018) द पॉलिटिक्स ऑफ़ इन्क्लूजनः वीमेन एंड पॉलिटिक्स इन बांग्लादेश, *इंडियन जर्नल ऑफ़ जेंडर स्टडीज,* 25, नं. 2, 217।
44. लक्ष्मी आयर एवं सहयोगी (2012) पावर ऑफ़ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसः वीमेन इन पॉलिटिक्स एंड जेंडर इक्विटी इन इंडिया, *क्वार्टरली जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स,* 127, नं. 3, 1149।
45. रश्मि पांडा (2019) बिहार में प्रॉक्सी पॉलिटिक्सः एन एनालिसिस ऑफ़ वीमेन सरपंच्स, *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* 54, नं. 15, 39।
46. सीएसडीएस, नेशनल सर्वे ऑन चौलेंजेस फेस्ड बाय वीमेन इन पॉलिटिक्स (2023) पृ. 24।
47. चट्टोपाध्याय, रघवेंद्र (2014) वीमेनस लीडर्शिप एंड पब्लिक गुड्स डिलीवरी इन अर्बन इंडिया, वर्ल्ड डेवलपमेंट 64, 158।
48. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, जेंडर बजटिंग हैण्डबुक (2021), पृ. 8।

****